(वाद सं0–6920/2018)

12.07.2021

परिवादी, जितेन्द्र कुमार सिंह, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा थाना कांड संख्या–15/18 के नामांकित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा बचाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड इन्द्रदेव सिंह के फर्द बयान के आधार पर तीन नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध इन्द्रदेव सिंह को गोली मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर देने के आरोप में भा0द0स0 की धारा–307/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत संस्थित किया गया है। बाद में कांड के जख्मी इन्द्रदेव सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रसंगाधीन कांड की धारा में भा0द0स0 की धारा–302/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 परिवर्तित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार ‘‘जांच के क्रम में आगे पाया गया कि कांड संख्या–15/18 में बनाये गये अभियुक्त दरौंदा थाना कांड संख्या–296/15 के गवाह है तथा इस कांड के आवेदक के ग्रामीण लालबाबु सिंह की हत्या हुयी थी जिस कांड का अनुसंधान के क्रम में आवेदक जितेन्द्र कुमार सिंह जेल गया था। उसके पश्चात आवेदक के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। उसके अलावा दरौंदा थाना कांड संख्या–67/15, दिनांक–15.03.15 धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं दरौंदा थाना कांड संख्या–122/16 दिनांक–14.08.16 धारा–302/307/34/120(बी) भा0द0वि0 में आवेदक की मां ज्ञान्ती देवी के अलावे अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

जांच के क्रम में यह बात प्रकाश आयी है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है जैसा की अनुसंधान के दौरान साक्षियों द्वारा भी बताया गया है। इसके अलावे अन्य चल रहे

विवादों के कारण सुलह समझौता कराने के लिये इस कांड के अभियुक्तों का नाम दिया गया है।

इस कांड के अभियुक्तों की संलिप्पता के बिन्दु पर शीघ्र अनुसंधान व जांच कर अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित करने का निर्देश थानाध्यक्ष दरौंदा थाना को दिया गया है।

आवेदक द्वारा थाना प्रभारी के अलावे अन्य पदाधिकारी पर आरोप लगाया गया है वर्त्तमान थानाध्यक्ष दरौंदा थाना का पदस्थापन माह जुलाई–20 में हुआ है। अब तक के जांच के दौरान आये तथ्यों से आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप तथ्य से परे प्रतीत होता है।''

चूंकि प्रसंगाधीन कांड वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है तो कांड के अन्वेषणाधीन रहने के क्रम में राज्य आयोग द्वारा कोई हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है। परिवादी चाहें तो विधिनुसार याचिका दाखिल कर सम्बंधित न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन (पृ0–17–16/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक